14.06.25 पैरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 द्वारा जरिए वकील श्री प्रदीप सिहाग के प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.06.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आज पत्रावली पर लिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए गये कि उपरोक्त अनवानी पत्रावली आज की तारीख पेशी में वास्ते साक्ष्य वादी हेतु निश्चित है। प्रार्थीगण के नाम चक 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर के खाता संख्या मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 ता 13, 20 व 21 की कुल 3.075 हैक्टेयर रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के विरूद्ध हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर उपरोक्त अनवानी प्रकरण जरिये सरकार प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि में कोई अवैध निर्माण इत्यादि नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर पूर्व में एफ०सी०आई के गोदाम निर्मित थे जो कि कार्यालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.03.1981 को अस्थाई अनुमति प्रदान की गई थी तथा गोदाम निर्मित करने के समय उक्त भूमि पर अस्थाई रूप से सड़कें निर्मित की गई थी। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत रकबे पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण अब उक्त रकबे को संपरिवर्तित करवाने हेतु सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अतिशीघ्र रुप से प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन करवा लेगें। प्रश्नगत भूमि के किस्म परिवर्तन संबंधी कार्यवाही उक्त प्रकरण के लम्बित रहते हो पानी सम्भव नहीं है। प्रार्थीगण उक्त पत्रावली को सशर्त भूमि किस्म परिवर्तन करवाने के आधार पर पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थीगण के द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र सलंग्न प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उपरोक्त अनवानी पत्रावली को आज की पेशी में ली जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के संबंध में की गई कार्यवाही को समाप्त की जावे।

राज पैरोकार

वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस में यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा कानून की कोई अवज्ञा नहीं की गई है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवाने के लिए तत्पर, इच्छुक व प्रयासरत है। माननीय न्यायालय से प्रकरण निरस्त होने पर शीघ्र ही उक्त भूमि का भू संपरिवर्तन करवा लिया जावेगा। जिसके लिए प्रार्थीगण वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवान की पत्रावली को पेशी में लिया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपनी भूमि का संपरिवर्तन करवा सके।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहते हैं। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक नगर विकास न्यास द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन

Scanned with CamScanner

करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीगण 90 दिवस के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात् तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात् यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नतगत आराजी के भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवा कर आगामी कार्यवाही करें।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 24.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner